27/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी जगदीश एवं उपस्थित। पत्रावली के दौरान प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी के निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता होने के कारण आवेदन पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते। प्रार्थी के आईटी वीर पर हस्ताक्षर कराये गये। जिनकी पहचान एडवोकेट प्रार्थी ने की एवं आईटी वीर पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी के अनुरोध पर आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 212 बी.एन.एस. कोर्ट फीस के जारिये निस्तारण पाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही अभिलेख दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/2/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

पक्षकारों के मध्य अदालत के बाहर राजीनामा होने के कारण वादी अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है।

अ. प्रार्थी
जगदीश

हस्ताक्षर
27.2.25